

16/1/26

पश्चात्पुत्री पेशा कुगे उमर ७०-३५.७ दिनांक- २०१६
कीमत उभा जाता है विस्तृत रिपोर्ट अलग से दिखाया
जाता है उन्ही पत्नी का नंभर से बन हो
आदेश दुनाम गभन

सपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMs
2017/00381



न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला-श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- भरत जयप्रकाश मीना (आई ए.एस.)

प्रकरण सं.- 10/2017

दायरा दिनांक:- 19.01.2017

Gems:- 2017/00381

--: अनवान :-

- 1 मनीराम पुत्र श्री ख्यालीराम } अकवाम जाट साकिनान भैरूसरी तहसील
2 जगदीश पुत्र श्री सहीराम } रावतसर जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

- वादीगण

बनाम

- 1 जगननाथ पुत्र श्री करतारनाथ फौत जरिये वारिस :-
1/1 बीरबल नाथ पुत्र जगननाथ जाति नाथ साकिन धीरदान तह.लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2 रामप्यारी जोजा श्री साहबराम जाति नाथ निवासी सूरतगढ हाल धीरदान तह.लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान।
3 सादुलसिह पुत्र चन्दसिह जाति राजपूत निवासी साँवलसर तह. सूरतगढ।
4 साहबराम } पिसरान प्रेमराम जाति जाट साकिन उदासर तह.रावतसर जिला हनुमानगढ।
5 शिशपाल }
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर।

- प्रतिवादीगण



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

- उपस्थित :- 1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता - प्रार्थी
2. तहसीलदार पैरोकार राज

--: निर्णय :-

दिनांक :- 16.01.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में वर्णित रकबा रोही साँवलसर की जमाबन्दी सँवत 2069 ता 72 के खाता न 100/101 के खसरा न 424 के 6.640 हैक बारानी व खसरा न 547 के 0.316 हैक कुल 6.956 हैक बारानी रकबा का व इसी रोही की इसी सँवत की जमाबन्दी के खाता न 303/287 के खसरा न 410 के 3.288 है व खसरा न 425 के 0.253 हैक व खसरा न 534 के 8.094 हैक व खसरा न 548 के 5.312 हैक व खसरा न 550 के 2.567 हैक इस प्रकार कुल 19.514 हैक बारानी रकबा के खाता विभाजन के बाबत दिनांक 11.12.2019 प्राथमिक डिक्री जारी कर वादीगण के रकबा का खाता विभाजन प्रतिवादीगण से अलग करने के लिए तहसीलदार सूरतगढ से राजस्व नियमावली नियम 18 से 21 की पालना में रास्ता की सुविधा व कब्जाकाश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मांगा गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार सूरतगढ ने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/5083 दिनांक 25.11.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवा दिया है। व विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन करवाने में वादी सहमत है तथा किसी भी पक्ष ने विभाजन प्रस्ताव के बाबत कोई एतराज पेश नहीं किया है,

लगातार पेज न 2.....पर


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर रोही सॉवलसर की जमाबन्दी सँवत 2069 ता 72 के खाता न 100/101 के खसरा न 424 के 6.640 हैक बारानी व खसरा न 547 के 0.316 हैक कुल 6.956 हैक बारानी रकबा का व इसी रोही की इसी सँवत की जमाबन्दी के खाता न 303/287 के खसरा न 410 के 3.288 है व खसरा न 425 के 0.253 हैक व खसरा न 534 के 8.094 हैक व खसरा न 548 के 5.312 हैक व खसरा न 550 के 2.567 हैक इस प्रकार कुल 19.514 हैक बारानी रकबा का निम्न से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के रकबा का खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है :-

खाता न. 100/101 के 6.956 हैक रकबा बाबत खाता विभाजन :-

- 1 वादी न 1 मनीराम को खाता विभाजन में दिया जाने वाला रकबा : खसरा न 424 का 1.012 हैक बारानी प्रथम खातेदारी नक्शा में बरंग हरा
- 2 वादी न 2 जगदीश को खाता विभाजन में दिया जाने वाला रकबा : खसरा न 424 का 1.012 हैक बारानी खातेदारी प्रथम नक्शा में बरंग नीला
- 3 प्रतिवादी न 1/1 बीरबलनाथ का रकबा 2.402 हैक. प्रतिवादी नं. 2 रामप्यारी का रकबा 2.530 हैक. को खाता विभाजन में दिया जाने वाला रकबा : खसरा न 424 का 4.616 हैक बारानी प्रथम व खसरा न 547 का 0.316 हैक बारानी प्रथम कुल रकबा 4.932 हैक. खातेदारी नक्शा में बरंग पीला




खाता न. 303/287 के 19.514 हैक रकबा बाबत खाता विभाजन :-

- 1 वादी न 1 मनीराम को खाता विभाजन में दिया जाने वाला रकबा : खसरा न 425 का 0.253 हैक बारानी प्रथम व खसरा न 548 का 1.897 हैक बारानी प्रथम व खसरा न. 550 का 1.265 हैक बारानी प्रथम खातेदारी नक्शा में बरंग हरा। कुल रकबा 3.415 हैक. बारानी प्रथम खातेदारी
- 2 वादी न. 2 जगदीश को खाता विभाजन में दिया जाने वाला रकबा : खसरा न. 548 का 3.415 हैक बारानी प्रथम खातेदारी नक्शा में बरंग नीला
- 3 प्रतिवादी न. 3 सादुलसिंह का 3 हिस्सा, वादी न. 4 साहबराम का 500 हिस्सा, वादी न. 5 शिशपाल का 500 हिस्सा को खाता विभाजन में दिया जाने वाला रकबा : खसरा न. 550 का 1.302 हैक., खसरा नं. 534 का 8.094 हैक., खसरा नं. 410 का 3.288 हैक. बारानी प्रथम कुल रकबा 12.684 हैक. खातेदारी नक्शा में बरंग संतरी

तहसीलदार सूरतगढ़ निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद व खसरा में तरमीम कर खाता विभाजन आदेशानुसार अलग-अलग रकम कायम करे। निर्णय अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शूमार होकर दफतर दाखिल हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (भरत जयप्रकाश मीना)
 उपखण्ड अधिकारी
 सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बैजलास :- भरत जयप्रकाश मीना आई ए.एस.)

--: अनवान ::-

- 1 मनीराम पुत्र श्री ख्यालीराम जाति
 - 2 जगदीश पुत्र श्री सहीराम
- } जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर
जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

-वादीगण

बनाम

- 1 जगननाथ पुत्र श्री करतारनाथ फौत जरिये वारिस :-
1/1 बीरबल नाथ पुत्र जगननाथ जाति नाथ साकिन धीरदान तह.लूणकरणसर जिला बीकानेर।
- 2 रामप्यारी जोजा श्री साहबराम जाति नाथ निवासी सुरतगढ हाल धीरदान तह.लूणकरणसर जिला बीकानेर राजस्थान।
- 3 सादुलसिह पुत्र चन्दसिह जाति राजपूत निवासी सॉवलसर तह. सूरतगढ।
- 4 साहबराम } पिसरान प्रेमराम जाति जाट साकिन उदासर तह.रावतसर जिला हनुमानगढ।
- 5 शिशपाल }
- 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर।

- प्रतिवादीगण



वाद पत्र अर्तगत धारा 53, 209, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नं. 53 वर्ष 2014 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रुबरु हमारे हाजरी वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा व प्रतिवादी पैरोकार राज नाथब तहसीलदार सूरतगढ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर रोही सॉवलसर की जमाबन्दी सॅवत 2069 ता 72 के खाता न 100/101 के खसरा न 424 के 6.640 हैक् बारानी व खसरा न 547 के 0.316 हैक् कुल 6.956 हैक् बारानी रकबा का व इसी रोही की इसी सॅवत की जमाबन्दी के खाता न 303/287 के खसरा न 410 के 3.288 है व खसरा न 425 के 0.253 हैक् व खसरा न 534 के 8.094 हैक् व खसरा न 548 के 5.312 हैक् व खसरा न 550 के 2.567 हैक् इस प्रकार कुल 19.514 हैक् बारानी रकबा का निम्न से खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है :-

खाता न 100/101 के 6.956 हैक् रकबा बाबत खाता विभाजन :-

- 1 वादी न 1 मनीराम को खाता विभाजन मे दिया जाने वाला रकबा : खसरा न 424 का 1.012 हैक् बारानी प्रथम खातेदारी नक्शा मे बरंग हरा
- 2 वादी न 2 जगदीश को खाता विभाजन में दिया जाने वाला रकबा : खसरा न 424 का 1.012 हैक् बारानी खातेदारी प्रथम नक्शा मे बरंग नीला
- 3 प्रतिवादी न 1/1 बीरबलनाथ का रकबा 2.402 हैक्. प्रतिवादी नं. 2 रामप्यारी का रकबा 2.530 हैक्. को खाता विभाजन में दिया जाने वाला रकबा : खसरा न 424 का 4.616 हैक् बारानी प्रथम व खसरा न 547 का 0.316 हैक् बारानी प्रथम कुल रकबा 4.932 हैक्. खातेदारी नक्शा मे बरंग पीला

खाता न. 303/287 के 19.514 हैक् रकबा बाबत खाता विभाजन :-

- 1 वादी न 1 मनीराम को खाता विभाजन मे दिया जाने वाला रकबा : खसरा न 425 का 0.253 हैक् बारानी प्रथम व खसरा न 548 का 1.897 हैक् बारानी प्रथम व खसरा न. 550 का 1.265 हैक् बारानी प्रथम खातेदारी नक्शा मे बरंग हरा। कुल रकबा 3.415 हैक्. बारानी प्रथम खातेदारी

लगातार पेज न 2.....पर


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

- 2 वादी न 2 जगदीश को खाता विभाजन में दिया जाने वाला रकबा : खसरा न. 548 का 3.415 हैक् बारानी प्रथम खातेदारी नक्शा मे बरंग नीला
- 3 प्रतिवादी न 3 सादुलसिंह का 3 हिस्सा, वादी न. 4 साहबराम का 500 हिस्सा, वादी न. 5 शिशपाल का 500 हिस्सा को खाता विभाजन में दिया जाने वाला रकबा : खसरा न. 550 का 1.302, 534 का 8.094 हैक्., 410 का 3.288 हैक्. बारानी प्रथम कुल रकबा 12.684 हैक्. खातेदारी नक्शा मे बरंग संतरी

तहसीलदार सूरतगढ निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद व खसरा मे तरमीम कर खाता विभाजन आदेशानुसार अलग-अलग रकम कायम करे।

नोज.....X मुबलिग X बाबत X .. खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बषरह X ...
 . फस्टों की पालना X .. आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16.01.26 को जारी की गई।



BV
 (भरत जयप्रकाश मीना)
 उपखण्ड अधिकारी
 सूरतगढ (राज.)